दानेन वर्द्धते विद्या,विद्या ददाति विनयम्।

महाविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं स्वच्छता बनाएं रखें।

Akriti
PRINTER'S
CHOPRA PARA AMBIKAPUR

RAJEEV GANDHI GOVT. P.G. COLLEGE AMBIKAPUR

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर

PROSPECTUS

विवरणिका

2024-25

RAJEEV GANDHI GOVT. P.G. COLLEGE AMBIKAPUR
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर
DIST.- SURGUJA (C.G.)
जिला- सरगुजा (छ.ग.)
Website: rgpgcapur.in

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर

PROSPECTUS

विवरणिका

2024-25

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर

जिला- सरगुजा (छ.ग.)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर : एक परिचय

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक वैभव से सम्पन्न सरगुजाचंल में स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना सन् 1960 में स्नातक महाविद्यालय के रुप में हुई थी। सन् 1973 में शासन द्वारा इसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मान्यता प्रदान की गई। प्रारम्भ में यह महाविद्यालय सागर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहा। सन् 1983 तक यह पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से सबद्ध रहा तथा 2008 तक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से सम्बद्ध रहा। वर्तमान में यह महाविद्यालय संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर से सम्बद्ध हैं। महाविद्यालय पूर्णतः स्वशासी महाविद्यालय है तथा सत्र 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा निति (NEP) लागू है । महाविद्यालय में चार संकायों कला, वाणिज्य, विज्ञान तथा विधि में अध्यापन की व्यवस्था है।

शासन के मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन, नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं महाविद्यालय परिवार के बहुमूल्य सहयोग से महाविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जनभागीदारी समिति का गठन इसी दिशा में एक ठोस कदम है। महाविद्यालय का मुख्य भवन अम्बिकापुर-मनेन्द्रगढ़ रोड पर और इसका एक खण्ड 'विद्यावृत' अम्बिकापुर-बनारस रोड पर स्थित है। महाविद्यालय में अध्यापन कक्षों का विस्तार रुसा भवन के रुप में किया गया है । 2009-10 का वर्ष महाविद्यालय का गौरवपूर्ण स्वर्ण जयंती वर्ष था। महाविद्यालय के पास स्वयं के तीन भवन तथा 42 एकड़ भूमि में फैला एक विशाल खेल मैदान तथा जिम्नेजियम है। जनभागीदारी समिति द्वारा अध्यापन कक्षों (भूतल एवं प्रथम तल) का निर्माण किया गया है । महाविद्यालय में 100 छात्रों हेतु बालक छात्रवास एवं 50 छात्राओं हेतु महिला छात्रावास उपलब्ध है ।

सामान्य विवरण:–

01. महाविद्यालय में चार संकायों के अंतर्गत अध्ययन की सुविधा है- कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं विधि। कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र एवं संस्कृत तथा विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर साइंस, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, प्राणि शास्त्र एवं भूगर्भ शास्त्र अध्ययन हेतु उपलब्ध है । व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रुप में महाविद्यालय में डी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी.लिब), बी.सी.ए. पाठ्यक्रम उपलब्ध है । विगत वर्षो में योग्य, कुशल एवं अनुभवी प्राध्यापकों के शिक्षण और मार्गदर्शन से छात्रों ने निरंतर उत्तम परीक्षाफल तथा शोध उपाधियाँ हासिल कर महाविद्यालय तथा क्षेत्र को गौरवान्वित किया है।
स्नातक कक्षाओं हेतु विषयों का चयन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय समूह के अनुसार ही किया जा सकेगा। प्रत्येक विद्यार्थी अपने द्वारा चुने गये विषय समूह के अंतर्गत ही वांछित विषय को लेने के लिए सक्षम होगा।
02. सन् 1994-95 से स्नातकोत्तर कक्षाएं स्वशासी प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जा रही हैं। सत्र 2021-22 से महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं सहित समस्त कक्षाएँ स्वशासी योजनान्तर्गत संचालित है ।
03. महाविद्यालय में सत्र 2006-07 से सेमेस्टर प्रणाली लागू है। इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर के प्रत्येक विषय में चार सेमेस्टर होंगे। प्रथम / तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा माह नवम्बर / दिसम्बर तथा द्वितीय / चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा मई / जून में आयोजित होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अधिकतम 70 अंकों में न्यूनतम 29 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र मे आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित किये गये हैं। उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को आंतरिका मूल्यांकन में न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करना होगा।
04. स्नातकोत्तर कक्षाओं में केवल उन्हीं शैक्षणिक प्रश्न-पत्रों को पढ़ने की अनुमति दी जावेगी जिनके अध्यापन के लिए महाविद्यालय में सभी दृष्टियों से पर्याप्त सुविधा होगी।
05. सत्र 2005-2006 से बी.एससी. में इलेक्ट्रॉनिक्स विषय प्रारंभ किया गया है।
06. सत्र 2008-09 से कला संकाय में प्रथम वर्ष से मनोविज्ञान विषय प्रारंभ किया गया है।
07. सत्र 2011-12 से महाविद्यालय में पी.जी.डी.सी.ए. का अध्यापन प्रारंभ किया गया हैं।
08. नया पाठ्यक्रम एल.एल.एम., एम.एस. डब्लू., एम.ए. मानव शास्त्र, बी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. सत्र 2013-14 से प्रारंभ किया गया है ।
09. महाविद्यालय में क्रीड़ा हेतु सुविधा एवं मैदान उपलब्ध है। क्रीड़ा के लिए प्रभारी प्राध्यापक हैं जिनके मार्गदर्शन में तथा क्रीडा अधिकारी के सहयोग से संपूर्ण क्रिया-कलापों का कार्यान्वयन तथा नियंत्रण किया जाता है।
10. महाविद्यालय के सुचारु रुप से संचालन हेतु एक प्रोक्टोरियल बोर्ड है जो प्रवेश एवं अनुशासन के संबंध में पूर्ण रुपेण अधिकृत है ।
11. महाविद्यालय में एन.सी.सी. की एक यूनिट है जिसमें कुल 107 विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। एन.सी.सी. की गतिविधियों का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण एन.सी.सी. अधिकारी द्वारा किया जावेगा। एन.सी.सी. अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रत्येक विद्यार्थी सामाजिक सेवा एवं दैनिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में नियमित रुप से उपस्थित होगा ।
12. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाईयॉ है। प्रत्येक में 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण योजना, शिविर कार्यक्रम एवं सामान्य व्यवस्था का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करेंगे। एन.एस.एस. इकाई का प्रत्येक विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में रुचि लेकर पारस्परिक सहयोग से भी योजनाओं को निष्ठापूर्ण कर महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा का निर्वाह करेंगे।
13. विभिन्न प्रकार के देय शुल्क, शुल्क मुक्ति, प्रवेश के नियम एवं मार्गदर्शन सिद्धांत, आचरण, छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों की जानकारी, छात्र सहायता निधि, अनुशासन संबंधी नियम, उपस्थिति, प्रवेश आवेदन प्रारुप सभी की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विद्यार्थी एवं उनके पालक का कर्त्तव्य है कि इनसे भली-भांति अवगत हों।

14. महाविद्यालय में एक विधिक सेवा सहायता केन्द्र है जो विधि विभाग के अंतर्गत संचालित है ।

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्रता–

1. सेमेस्टर कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
2. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
3. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा एवं सेमेस्टर इंड परीक्षा दोनो को मिलाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा ।
4. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा तीन स्तर पर आयोजित किया जायेगा ।
   अ- असाइनमेंट ब- सेमिनार स- टेस्ट
5. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के सभी स्तर में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।

प्रमाण पत्र एवं उपाधि योजना (NEP के तहत आने वाले कोर्स पर लागू) –

1. छात्र द्वारा दो सेमेस्टर (एक वर्ष) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा ।
2. चार सेमेस्टर (दो वर्ष) पूर्ण करने पर डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा ।
3. छः सेमेस्टर (तीन वर्ष) पूर्ण करने पर स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी ।
4. आठ सेमेस्टर (चार वर्ष) का पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर संबंधित विषय में शोध सहित ऑनर्स डिग्री (स्नातक) की उपाधि प्रदाय की जायेगी ।
5. सातवें सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता केवल उन्ही छात्रों को होगी जिन्होने सम्पूर्ण छः सेमेस्टर में समेकित प्राप्तांक /CGPA 7.5 प्राप्त किया हो ।
6. ग्रेस की पात्रता नही होगी एवं दो से अधिक प्रश्न पत्रों (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक सहित) में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उसी कक्षा में रुक कर पुनः नियमित (Regular) अध्ययन करना होगा ।
7. प्राप्तांक से असंतुष्ट रहने वाले छात्रों को पुनर्मूल्यांकन (Revaluation) की पात्रता नही होगी ।वे केवल पुनर्गणना करा सकेंगे ।

विषय चयन में विश्वविद्यालय का बंधन:–

सत्र 2023-24 से बी.ए., बी.एससी., बी. कॉम एवं बी.सी.ए. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश देने हेतु विषयों के समूह बनाये गये हैं इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावेगा ।ये समूह निम्न हैं ।

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर– डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर्स (DSC) विद्यार्थी किसी भी पाँच ग्रुप में से एक-एक विषय का चुनाव कर सकते हैं। अधिकतम तीन ग्रुप से तीन विषयों की चुनाव किया जाता है :-

ग्रुप-1 1. समाजशास्त्र ग्रुप- 2. 1. राजनीति विज्ञान
2. मानवशास्त्र 2. अर्थशास्त्र

ग्रुप-3. 1. हिन्दी साहित्य ग्रुप- 4. 1. भूगोल
2. संस्कृत साहित्य 2. मनोविज्ञान
3. गणित

ग्रुप-5. 1. इतिहास 2. अंग्रेजी साहित्य

जेनेरल इलेक्टिव (GE)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं-

- इलेक्ट्रानिक्स - वनस्पति विज्ञान - प्राणि शास्त्र - भूगर्भ शास्त्र
- कम्प्यूटर एप्लिकेशन - विधि - वाणिज्य

स्किल इनहैन्समेन्ट कोर्स (SEC)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं-

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - मशरुम कल्टीवेशन - ऑफिस ऑटोमेशन - मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग

एबिलिटी इनहैन्समेन्ट कोर्स (AEC)

सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है । - भाषा एवं संचार कौशल (हिन्दी)

वैल्यू एडेड कोर्स (VAC)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं-

- अंडरस्टैन्डिंग इण्डिया - छत्तीसगढ़ी भाषा - टूरिज्म एण्ड कल्चरल हेरिटेज
- ई-गवर्नेंस - कॉआपरेटिव एग्रीकल्चर एवं टू इनफॉरमेशन - राईट टू इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिश

बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर :–

डिसिप्लिनरी स्पेस्फीक कोर्स (DSC)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक ग्रुप का चुनाव कर सकते है:-

ग्रुप-1 1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. गणित
ग्रुप-2 1. भौतिक शास्त्र 2. इलेक्ट्रॉनिक 3. गणित

ग्रुप-3 1. भौतिक शास्त्र 2. कम्प्यूटर साइंस 3. गणित
ग्रुप-4 1. भौतिक शास्त्र 2. भूगर्भशास्त्र 3. गणित
ग्रुप-5 1. वनस्पति शास्त्र 2. प्राणी शास्त्र 3. रसायन शास्त्र
ग्रुप-6. 1. वनस्पति शास्त्र 2. भूगर्भ शास्त्र 3. रसायन शास्त्र

जेनेरल इलेक्टिव (GE)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं-

केवल गणित ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए

- वनस्पति शास्त्र - प्राणिशास्त्र - मनोविज्ञान
- मानव विज्ञान - वैदिक गणित - हिन्दी

केवल जीव विज्ञान (बायो) ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए –

- हिन्दी - अर्थशास्त्र - भूगोल - मनोविज्ञान - मानव विज्ञान - वैदिक गणित

स्किील इन्हैन्समेन्ट कोर्स (SEC)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते हैं:-

- परिमाणात्मक अभिरुचि - इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रमेन्टेशन - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

एबिलिटी इनहैन्समेन्ट कोर्स (AEC)

सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। - भाषा एवं संचार कौशल (अंग्रेजी)

वैल्यू एडेड कोर्स (VAC)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं-

केवल गणित ग्रुप - क्राइम एण्ड साइबर सेक्यूरिटी - बेसिक भौतिक शास्त्र एवं नवीन तकनीक
केवल प्राणिशास्त्र ग्रुप - वर्मिकल्चर - आधुनिक मानचित्र कला

बी.कॉम.

डिसिप्लीनरी स्पेस्फीक कोर्स (DSC)

सभी अनिवार्य विषय

जेनेरल इलेक्टिव (GE)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते है।

-इतिहास - राजनीति शास्त्र - मानव विज्ञान - इलेक्ट्रानिक्स

स्कील एनहैन्समेन्ट कोर्स (SEC)

विद्यार्थी इसका चुनाव करें ।

- बैकिंग प्रैक्टिस

एवलिटी एनहैन्समेन्ट कोर्स (AEC)

सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है ।

- पर्यावरण-1

वैल्यू एडेड् कोर्स (VAC)

विद्यार्थी इसका चुनाव करें ।

- फार्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर

बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (बी.सी.ए.)

डिस्पेन्सरी स्पेस्फीक कोर्स (DSC)

सभी अनिवार्य विषय

जेनेरल इलेक्टिव (GE)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते है-

- मनोविज्ञान - अर्थशास्त्र

स्कील इनहैन्समेन्ट कोर्स (SEC)

विद्यार्थी निम्नलिखित में से किसी एक विषय का चुनाव कर सकते है ।

- साइकोलोजिकल काउन्सलिंग

एवलिटी इनहैन्समेन्ट कोर्स (AEC)

सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य ।

- भाषा एवं संचार कौशल (अंग्रेजी)

वैल्यू एडेड् कोर्स (VAC)

विद्यार्थी इसका चुनाव करें ।

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2024-25

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र: 2024–25

1. **प्रयुक्ति**:–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि**:–

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना**:–

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना**:–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेंगे। कंडिका 5. 1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण:–

आवेदन ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ''ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होने ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रो के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना**:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया

जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या की निर्धारण:–

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या(सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. को कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाये।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्ताकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर 'प्रवेश दिया गया' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ. आई. आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता हैं। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नही। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 ''राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है।अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता:–

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा:–

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों मे प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता

प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश:–

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यावसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एससी. (बायो / गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नही होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:–

(क) बी.कॉम / बी.एससी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम. / एम.एससी.(गृह विज्ञान) / एम.ए.- प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एससी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एससी. / एम.ए.- प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संशय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान / अर्हता ही बंधनकारी होगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमः-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य हैं।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश:–

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा:–

(क) ''विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति / अनसूचित जाति हेतु 40% अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / ओ.बी. सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।''

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा:–

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कौंसिल फॉर सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के

विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं हैं, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने / डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री / डिप्लोमा वैधानिक रुप से मान्य नही होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नही है, कि जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52 / 2013 (सीसी / एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार :-

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता हैं जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य / समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्युएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश:–

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए / बी.कॉम. / बी.एससी / बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय / तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों / विषय समूह में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा । किसी भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा:–

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय के पूरक / एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रुप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं:–

9.1 किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय मे प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष / वर्षो में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नही लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों / अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार / मारपीट करने के गंभीर आरोप हो / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नही हुआ हो, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नही देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रैंगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु–सीमा:–

(क) छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय मे प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र / छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पर पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण:–

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता**:–

11.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा**:–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात्:-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछ़डा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती / नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1 / 2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1 / 2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the centre and the state Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

टीपः- अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रं. एफ 13-1 / 2023 / आ.प्रा. / 1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 के अनुरुप आरक्षण संबंधी प्रावधान माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रं. 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

13. **अधिभारः—**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स / गाइड्स / रेन्जर्स / रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस / एन.सी.सी. ''ए'' सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी.केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रुपांकन प्रतियोगिताएंः-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता मेंः-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3(1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ में:-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधितव करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कक्षा क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:-

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन:-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि:-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होगे।

14. संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन:-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति

महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. **शोध छात्र**:—

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानातरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16. **विशेष**:—

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीप व अभिनत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

कार्यालय प्राचार्य, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर

शुल्क तालिका सत्र- 2024-25

शुल्क विवरण	स्नातक कला एवं वाणिज्य (भूगोल को छोड़कर)	स्नातक विज्ञान एवं भूगोल	स्नातकोत्तर कला एवं वाणित्य (भूगोल को छोड़कर)	स्नातकोत्तर विज्ञान एवं भूगोल	विधि संकाय
शिक्षण शुल्क	118	138	129	149	292
अवधान राशि	60	100	100	100	100
संघ प्रवेश शुल्क	2	2	2	2	2
निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	5	5	5	5	5
परिचय पत्र	30	30	30	30	30
महाविद्यालय विकास शुल्क	25	25	25	25	25
सायकल स्टैण्ड शुल्क	100	100	100	100	100
कॉमन रुम / वाचनालय	50	50	50	50	50
विभागीय शुल्क	0	0	100	150	100
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	240	240	300	300	240
स्वशासी शुल्क	200	200	300	300	200
ग्रंथालय पुस्तक निर्गमन पत्र शुल्क	10	10	10	10	10
विद्यार्थी राशि	0	0	0	0	1056
जनभागीदारी शुल्क	500	600	500	600	500
महाविद्यालय छात्र संघ शुल्क	30	30	30	30	30
रेड क्रॉस शुल्क	25	25	25	25	25
क्रीडा शुल्क	100	100	100	100	100
सम्मिलित निधि शुल्क	20	20	20	20	20
स्नेह सम्मेलन	50	50	50	50	50
चिकित्सा शुल्क	10	10	10	10	10
नामांकन शुल्क	150	150	150	150	150
युवा गतिविधि शुल्क	30	30	30	30	30
शारीरिक कल्याण शुल्क	170	170	170	170	170
विवि पुस्तकालय	25	25	25	25	25
योग	1950	2110	2261	2431	3320

स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों एवं अन्य पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क तालिका–

कक्षा	शुल्क	कक्षा	शुल्क
1-DCA	5996	11-Ph.D Research Scholar Admission fee	3000
2-M.Sc. Anthropology	8900	12-B.C.A. I Sem. Lab fee	3000
3-M.S.W.	12900	13-B.C.A.II year &III Year Lab Fees	1000
4-M.Sc. Comp. Sc.	15900	14-B.Sc. I Sem. (CS) Lab fees	2000
5-L.L.M	4600	15-B.Sc. (CS) II Year& III Year Lab Fees	1000
6-PGDCA	12561	16-Diploma Course (Two Paper) up to 1 Year	1500
7-B.Com. Comp. Aplli.	6500	17-Certificate Course (One or Two Paper) Per Sem.	900
8-B.A. Anthropology	3576		
9-M.A. Psychology	8900		
10-B.Lib & I.Sc.	12000		

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर

क्र.	सम्बद्ध विषय	सीट संख्या	रिमार्क
1.	बी.ए. भाग-एक	840	
2.	बी.एस.सी. भाग- एक (बायो.)	250	
3.	बी.एस.सी. भाग- एक (गणित)	175	
4.	बी. कॉम भाग- एक	400	
5.	विधि भाग- एक	120	
6.	बी.सी.ए.	60	
7.	डी.सी.ए.	100	
8.	पी.जी.डी.सी.ए.	60	
9.	एम.ए. हिन्दी	40	
10.	एम.ए. अंग्रेजी	60	
11.	एम.ए. इतिहास	30	
12.	एम.ए. अर्थशास्त्र	40	
13.	एम.ए. राजनीति	30	
14.	एम.ए. भूगोल	30	
15.	एम.ए. समाजशास्त्र	30	
16.	एम.कॉम	40	
17.	एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	35	
18.	एम.एस.सी. भौतिकशास्त्र	25	
19.	एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	35	
20.	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	35	
21.	एम.एस.सी. गणित	40	
22.	बी.एस.सी. कम्प्यूटर साईस	80	
23.	एम.एस.सी. मानवशास्त्र	30	
24.	एल.एल.एम.	30	
25.	एम.एस.डब्ल्यू	60	
26.	एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईस	30	
27.	बी.कॉम, कम्प्यूटर एप्लिकेशन	40	
28.	बी.लीब.	40	
29.	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (साईबर सिक्योरिटी)	60	
30.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सी++एवं ओरेकल)	60	
31.	बी.ए. मानव विज्ञान	40	
32.	एम.ए. मनोविज्ञान	30	

प्रवेश समिति का विवरण (स्नातकोत्तर स्तर पर)

1.	एम.ए. हिन्दी	-	डॉ. आभा जायसवाल, विभागाध्यक्ष, हिन्दी
2.	एम.ए. अंग्रेजी	-	डॉ. आर.पी. सिंह, प्राध्यापक, अंग्रेजी
3.	एम.ए. राजनीति	-	डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान
4.	एम.ए. इतिहास	-	डॉ. ममता गर्ग, विभागाध्यक्ष, इतिहास
5.	एम.ए. समाजशास्त्र	-	डॉ. प्रतिभा सिंह, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र
6.	एम.ए. अर्थशास्त्र	-	डॉ. जे.एन. पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र
7.	एम.एस.डब्ल्यू	-	श्री सुनील ए.के. केरकेट्टा, विभागाध्यक्ष, एम.एस.डब्ल्यू
8.	एम.एस.सी. मानवशास्त्र	-	श्रीमती ज्योति लकड़ा, विभागाध्यक्ष, मानवशास्त्र
9.	एम.ए. भूगोल	-	डॉ. अनिल कुमार सिन्हा, सहा. प्रध्यापक, भूगोल
10.	एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	-	श्री आशीष मिश्रा, सहा. प्राध्यापक, वनस्पतिशास्त्र
11.	एम.एस.सी. भौतिक	-	डॉ. एस.के.श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, भौतिक शास्त्र
12.	एम.एस.सी. रसायन	-	श्रीमती सरोज तिर्की, विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र
13.	एम.एस.सी. जीव विज्ञान	-	श्रीमती जेरमिना तिर्की, विभागाध्यक्ष, जीव विज्ञान
14.	एम.एस.सी. गणित	-	श्रीमती संगीता पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, गणित
15.	एम.एस.सी., सी.एस.	-	श्री चेतन कुमार, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईस
16.	एम.ए. मनोविज्ञान	-	डॉ. तृप्ति विश्वास, विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान
17.	एम. कॉम	-	डॉ. ए.के. गौर, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य
18.	एल.एल. एम.	-	श्री ब्रजेश कुमार, विभागाध्यक्ष, विधि

प्रवेश समितियाँ– 2024–25

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर– रुसा भवन
1. डॉ. दीपक सिंह, सहा. प्राध्या., हिन्दी
2. डॉ. श्रीमती सुसन्ना लकड़ा, सहा. प्राध्यापक, हिन्दी
3. सुश्री अनिषा लकड़ा, सहा. प्राध्या. अर्थशास्त्र
4. श्री विनीत गुप्ता, सहा. प्राध्या. राजनीतिशास्त्र
5. श्री कुलदीप चतुर्वेदी, सहा. प्राध्या. राजनीतिशास्त्र
6. श्री विनय कुमार, लैब टेक्निशियन

बी.ए. तृतीय सेमेस्टर– रुसा भवन
1. डॉ. प्रदीप कुमार एक्का- सहा. प्राध्या., समाजशास्त्र
2. श्रीमती रजनी सारथी, सहा. प्राध्या., अर्थशास्त्र
3. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सहा. प्राध्या., हिन्दी
4. श्रीमती नीलम गुप्ता, लैब टेक्निशियन
5. कु. खीस्त इस्राईली लकड़ा, भृत्य

बी.ए. पंचम सेमेस्टर– रुसा भवन
1. श्री संजीव कुमार लकड़ा, सहा. प्राध्या. अंग्रेजी
2. कु. दीपिका स्वर्णकार, सहा. प्राध्या., भूगोल
3. श्री राजीव कुमार, सहा. प्राध्या., संस्कृत
4. श्रीमती ललिता मिंज, भृत्य

बी.एस.सी. प्रथम सेमे. (बायो.)– रसायन विभाग
1. डॉ. कविता कृष्णमूर्ति, सहा. प्राध्या., रसायन शास्त्र
2. श्री संदीप कुशवाहा, सहा. प्राध्या., रसायन शास्त्र
3. श्रीमती गिरिजा सिंह, सहा. प्राध्या., रसायन शास्त्र
4. श्रीमती नमिता एक्का, लैब टेक्निशियन

बी.एस.सी. प्रथम सेमे. (गणित) – गणित विभाग
1. श्रीमती संगीता पाण्डेय, सहा. प्राध्या., गणित
2. डॉ. पियूष पाण्डेय, सहा. प्राध्या., राजनीति
3. श्रीमती शशिकला सनमानी, सहा.प्राध्या., रसायन शास्त्र
4. श्रीमती अल्पना भारती, लैब टेक्निशियन

बी.एस.सी. तृतीय सेमे. (बायो)– रसायन शास्त्र
1. डॉ. जेरमिना तिर्की, सहा. प्राध्या. प्राणीशास्त्र
2. डॉ. कविता कृष्णमूर्ति, सहा. प्राध्या., रसायन शास्त्र
3. सुश्री पूनम सोनवानी, सहा. प्राध्या. विधि

बी.एस.सी. तृतीय सेमे. (गणित)
1. डॉ. एम.के. मौर्य, सहा. प्राध्या., भौतिक शास्त्र
2. डॉ. मोहिनी भारद्वाज, सहा. प्राध्या., वनस्पतिशास्त्र

बी.एस.सी. पंचम सेमे. (बायो)– रसायन शास्त्र
1. डॉ. एच.डी.महार, सहा. प्राध्या., वनस्पतिशास्त्र
2. श्रीमती किरन मिंज, सहा. प्राध्या., भौतिकशास्त्र
3. कु. सुमन भारती, लैब टेक्निशियन

बी.एस.सी. पंचम सेमे., (गणित)– गणित विभाग
1. डॉ. रामेश्वरी बंजारा, सहा. प्राध्या., रसायन शास्त्र
2. श्रीमती दीपिका टोप्पो, सहा. प्राध्या., प्राणीशास्त्र
3. सुश्री अनुजा कुजूर, सहा. प्राध्या., वनस्पतिशास्त्र

बी. कॉम, प्रथम सेमे.– ग्रंथालय
1. डॉ. शम्पू तिर्की, सहा. प्राध्या., वाणिज्य
2. डॉ. अजय पाल सिंह, सहा. प्राध्या., इतिहास
3. श्री सजीत टोप्पो, लिपिक
4. श्री सूर्यकान्त कुमरावत, बुक लिफ्टर

बी.कॉम तृतीय सेमे.– ग्रंथालय
1. डॉ. विजय लक्ष्मी शास्त्री, सहा. प्राध्या., हिन्दी
2. श्री आशुतोष कौशिक, सहा. प्राध्या., वाणिज्य
3. श्री सजीत टोप्पो, लिपिक

बी.कॉम, पंचम सेमेस्टर– ग्रंथालय
1. डॉ. तृप्ति विश्वास, सहा. प्राध्या. मनोविज्ञान
2. श्रीमती रश्मित कौर, सहा. प्राध्या., वाणिज्य
3. श्री सजीत टोप्पो, लिपिक
4. श्री सूर्यकान्त कुमरावत, बुक लिफ्टर

विधि प्रथम सेमेस्टर– विधि विभाग
1. डॉ. मिलेन्द्र सिंह, सहा. प्राध्या. विधि
2. डॉ. पंकज अहिरवाल, सहा. प्राध्या., विधि
3. श्रीमती उषा राउते, भृत्य
4. श्री हेमलाल यादव, भृत्य

विधि तृतीय सेमेस्टर– विधि विभाग
1. श्री माधवेन्द्र तिवारी, सहा. प्राध्यापक, विधि
2. श्री देव प्रकाश दुबे, सहा. प्राध्यापक, विधि

विधि पंचम सेमेस्टर– विधि विभाग
1. डॉ. तरूण राय अहिरवार, सहा. प्रध्या. विधि
2. श्री मोहन कश्यप, सहा. प्राध्या., विधि
2. श्री उमेश भगत, लैब टेक्निशियन

बी.लिब. (B.Lib.)
1. श्री चमन कुमार ग्रंथपाल

कम्प्यूटर एप्लिकेशन (BCA-I & III Sem. DCA, PGDCA)– कम्प्यूटर लैंब
1. श्री चेतन कुमार, सहा. प्राध्यापक, कम्प्यूटर एप्लिकेशन
2. सुश्री मोनिका खेस, सहा. प्राध्यापक, कम्प्यूटर साईंस
3. श्री सर्वेश पाण्डेय, लैब टैक्निशियन

सत्र 2024–25 के लिए महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ निम्नानुसार गठित की गई हैः–

स.क्र.	समिति का नाम	स.क्र.	समिति का नाम
1	**अनुशासन समिति** :- 1. डॉ. आभा जायसवाल–संयोजक 2. डॉ. आर.पी. सिंह–सदस्य 3. डॉ. एस.के. सिन्हा–सदस्य 4. डॉ. जे.एन. पाण्डेय –सदस्य 5. डॉ. पी.के. एक्का–सदस्य 6. डॉ. ए.के. गौर–सदस्य 7. डॉ. उमेश पाण्डेय –सदस्य 8. श्री देव प्रकाश दुबे–सदस्य 9. सुश्री पूनम सोनवानी–सदस्य	6	**छात्र संघ समिति-** 1. डॉ. प्रतिभा सिंह –संयोजक 2. प्रो. संजीव कुमार लकड़ा–सदस्य 3. डॉ. दीपक सिंह –सदस्य 4. डॉ. पीयूष पाण्डेय –सदस्य 5. श्री संदीप कुमार कुशवाहा–सदस्य
2	**युवा उत्सव** :- 1. डॉ. ममता गर्ग–संयोजक 2. डॉ. जसिन्ता मिंज –सदस्य 3. डॉ. प्रतिभा सिंह –सदस्य 4. डॉ. तृप्ति बिश्वास–सदस्य 5. डॉ. कामिनी–सदस्य 6. सुश्री अनुजा कुजूर–सदस्य 7. सुश्री अनीशा लकड़ा–सदस्य 8. डॉ. मोहिनी भारद्वाज–सदस्य	7	**युवा साहित्यिक / सांस्कृतिक समिति-** 1. डॉ. जेरमिना तिर्की–संयोजक 2. श्री एस.ए.के. केरकेट्टा–सदस्य 3. डॉ. उमेश पाण्डेय–सदस्य 4. श्री संजीव कुमार लकड़ा–सदस्य 5. श्रीमती रजनी सारथी–सदस्य 6. श्रीमती शशिकला सनमानी–सदस्य 7. सुश्री अनुजा कुजूर–सदस्य 8. डॉ. मोहिनी भारद्वाज–सदस्य
3	**ग्रंथपाल / वाचनालय समिति** :- 1. डॉ. आर.पी. सिंह –संयोजक 2. डॉ. विजय लक्ष्मी शास्त्री –सदस्य 3. डॉ. मिलेन्द्र सिंह –सदस्य 4. श्री विनीत कुमार गुप्त–सदस्य 5. श्रीमती गिरिजा सिंह –सदस्य 6. श्री कुलदीप चतुर्वेदी–सदस्य 7. श्री चेतन कुमार–सदस्य 8. श्री चमन कुमार–सदस्य	8	**कैरियर गाइडेन्स समिति-** 1. डॉ. एस.एन. पाण्डेय –संयोजक 2. डॉ. विजय लक्ष्मी शास्त्री –सदस्य 3. डॉ. दीपक सिंह –सदस्य 4. सुश्री दीपिका स्वर्णकार–सदस्य 5. श्री विनीत कुमार गुप्त–सदस्य 6. डॉ. अजय पाल सिंह –सदस्य
4	**शिक्षक / अभिभावक समिति** :- 1. डॉ. जे.एन. पाण्डेय –संयोजक 2. समस्त विभागाध्यक्ष –सदस्य	9	**अ.जा. / अ.ज.जा. वर्ग समिति-** 1. श्रीमतीसरोजतिर्की–संयोजक 2. डॉ. एच.डी. महार–सदस्य 3. डॉ. प्रदीप एक्का–सदस्य 4. डॉ. जेरमिनातिर्की–सदस्य 5. श्रीमतीदीपिकाटोप्पो–सदस्य 6. श्रीमतीकिरण मिंज –सदस्य 7. श्रीराजीवकुमार–सदस्य
5	**शिकायत निवारण समिति** :- 1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव–संयोजक 2. श्रीमती सरोज तिर्की–सदस्य 3. डॉ. अनिल कुमार सिन्हा–सदस्य 4. डॉ. तरूण राय–सदस्य 5. डॉ. विजय लक्ष्मी शास्त्री –सदस्य		

स.क्र.	समिति का नाम
10	**पिछड़ा वर्ग समिति-** 1. डॉ. आभा जायसवाल–संयोजक 2. श्री संदीप कुशवाहा–सदस्य 3. सुश्री दीपिका स्वर्णकार–सदस्य
11	**छात्रवृत्ति समिति-** 1. श्रीमती सरोज तिर्की–संयोजक 2. डॉ. एच.डी. महार–सदस्य 3. श्री आशीष मिश्रा–सदस्य 4. श्री कुलदीप चतुर्वेदी–सदस्य 5. श्रीमती रश्मित कौर–सदस्य 6. श्री चेतन कुमार–सदस्य
12	**एन्टी रैगिंग समिति** :- 1. डॉ. राजकमल मिश्रा–संयोजक 2. डॉ. एच.डी. महार–सदस्य 3. डॉ. शम्पू तिर्की–सदस्य 4. प्रो. पंकज अहिरवार–सदस्य 5. श्री विनीत कुमार गुप्त–सदस्य 6. डॉ. विजय लक्ष्मी शास्त्री –सदस्य 7. डॉ. उमेश पाण्डेय –सदस्य 8. डॉ. मिलेन्द्र सिंह –सदस्य
13	**पर्यावरण सुरक्षा / ईको क्लब समिति-** 1. डॉ. अनिल कुमार सिन्हा–संयोजक 2. श्री ब्रजेश कुमार–सदस्य 3. श्रीमती ज्योति लकड़ा–सदस्य 4. डॉ. मोहिनी भारद्वाज–सदस्य 5. श्रीमती दीपिका टोप्पो–सदस्य 6. श्री आशीष मिश्रा–सदस्य 7. श्रीमती दीपिका स्वर्णकार–सदस्य
14	**सूचना का अधिकार समिति-** 1. प्राचार्य 2. श्री माधवेन्द्र तिवारी–संयोजक 3. श्री आशुतोष कौशिक–सदस्य
15	**छात्रावास समिति-** 1. प्राचार्य 2. श्री सुनील ए.के. केरकेट्टा–सदस्य 3. डॉ. पी.के. एक्का–सदस्य 4. डॉ. तरूण राय–सदस्य 5. श्री पंकज अहिरवार–सदस्य 6. डॉ. पीयूष पाण्डेय –सदस्य 7. छात्रावास प्रभारी–सदस्य
16	**सोशल मीडिया समिति-** 1. श्रीमती दीपिका स्वर्णकार 2. डॉ. कविता कृष्णमुर्ति 3. श्री सर्वेश पाण्डेय

स.क्र.	समिति का नाम
17	**मनोवैज्ञानिक काउन्सलिंग-** 1. डॉ. तृप्ति बिश्वास–संयोजक 2. श्रीमती ज्योति लकड़ा–सदस्य 3. डॉ. जेरमिना तिर्की–सदस्य 4. डॉ. संगीता पाण्डेय –सदस्य 5. श्रीमती सुसन्ना लकड़ा–सदस्य
18	**महाविद्यालय योजना समिति-** 1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव–संयोजक 2. समस्त विभागाध्यक्ष –सदस्य
19	**परीक्षा समिति-** 1. प्राचार्य / मुख्य नियंत्रक 2. डॉ. आर.के. मिश्रा–नियंत्रक एवंसदस्य 3. डॉ. अनिल सिन्हा–सदस्य 4. डॉ. श्रीमती सरोज तिर्की–सदस्य 5. डॉ. जे.एन. पाण्डेय –सदस्य
20	**क्रय समिति-** 1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव–संयोजक 2. डॉ. अनिल कुमार सिन्हा–सदस्य 3. श्रीमती सरोज तिर्की–सदस्य 4. डॉ. आर.के. मिश्रा–सदस्य 5. डॉ. ए.के. गौर–सदस्य 6. डॉ. जय नारायण पाण्डेय –सदस्य 7. श्री जे.पी. लास्कर–सदस्य 8. श्री आर.पी. तिवारी–सदस्य 9. श्री गोविंद जी मिश्रा–सदस्य
21	**उद्यान समिति-** 1. श्री सुनील ए.के. केरकेट्टा–संयोजक 2. श्री आशीष मिश्रा–सदस्य 3. कु. अनुजाकुजूर–सदस्य 4. श्री कुलदीप चतुर्वेदी–सदस्य 5. श्रीमती गिरिजा सिंह –सदस्य 6. श्रीमती किरण मिंज –सदस्य 7. सुश्री अनिसा लकड़ा–सदस्य
22	**क्रीड़ा समिति-** 1. श्री संजीव कुमार लकड़ा–संयोजक 2. डॉ. अजय पाल सिंह –सदस्य 3. श्री कुलदीप चतुर्वेदी–सदस्य 4. सुश्री दीपिका स्वर्णकार–सदस्य 5. सुश्री पूनम सोनवानी–सदस्य 6. सुश्री अनीशा लकड़ा–सदस्य 7. श्री चेतन कुमार–सदस्य

स.क्र.	समिति का नाम
23	**महिलाप्रकोष्ठ / विशाखासमिति-** 1. श्रीमती सरोज तिर्की–संयोजक 2. डॉ. स्नेहलता श्रीवास्तव–सदस्य 3. डॉ. आभा जायसवाल–सदस्य 4. डॉ. ममता गर्ग–सदस्य 5. डॉ. संगीता पाण्डेय –सदस्य 6. डॉ. शम्पू तिर्की–सदस्य 7. डॉ. कामिनी–सदस्य 8. श्रीमती रजनी सारथी–सदस्य 9. श्रीमती सुसन्ना लकड़ा–सदस्य 10. डॉ. मीरा शुक्ला–सदस्य (बाह्य)
24	**ग्रंथालय सलाहकार समिति-** 1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव–संयोजक 2. श्रीमती सरोज तिर्की–सदस्य 3. डॉ. आर.के. मिश्रा–सदस्य 4. डॉ. आर.पी.सिंह–सदस्य 5. डॉ. पीयूष पाण्डेय –सदस्य 6. श्री माधवेन्द्र तिवारी–सदस्य 7. ग्रंथपाल–सचिव
25	**साहित्यिक चोरी निरोध समिति-** 1. संबंधितविभागाध्यक्ष 2. श्रीचमनकुमार 3. संबंधित शोध निर्देशक
26	**अल्पसंख्यक समिति-** 1. डॉ. रिजवानउल्ला–संयोजक 2. श्रीमती रश्मित कौर–सदस्य 3. सुश्री अनिसा लकड़ा–सदस्य
27	**अपलेखन समिति-** 1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव–संयोजक 2. डॉ. आर.पी. सिंह–सदस्य 3. डॉ. जेरमिनातिर्की–सदस्य 4. श्रीब्रजेशकुमार–सदस्य
28	**मूक एवं स्वयं (MOOC & SWAYM) तथा अन्य ऑन लाईन कोर्सेस समिति-** 1. डॉ. पीयूष पाण्डेय –संयोजक 2. श्री देव प्रकाश दुबे–सदस्य 3. श्री कुलदीप चतुर्वेदी–सदस्य 4. डॉ. कविता कृष्णमूर्ति–सदस्य 5. श्री आशीष मिश्र–सदस्य
29	**विधिकसहायकसेल-** 1. डॉ. तरूण राय –संयोजक 2. श्री देव प्रकाश दुबे–सदस्य 3. कु. पूनम सोनवानी–सदस्य

स.क्र.	समिति का नाम
30	**समय सारिणी समिति-** 1. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव–संयोजक 2. श्रीमती सरोज तिर्की–सदस्य 3. डॉ. अनिल सिन्हा–सदस्य 4. डॉ. आर.के. मिश्रा–सदस्य 5. डॉ. ए.के. गौर–सदस्य 6. श्री ब्रजेश कुमार–सदस्य
31	**रेडक्रॉस समिति-** 1. श्री संदीप कुशवाहा–प्रभारी 2. श्री आशुतोष कौशिक–सदस्य 3. श्री आशीष मिश्रा–सदस्य 4. डॉ. कविता कृष्णमूर्ति–सदस्य 5. सुश्री मोनिका खेस–सदस्य 6. सुश्री अनिसा लकड़ा–सदस्य
32	**अनुसंधान सलाहकार समिति-** 1. प्राचार्य–चेयरमैन 2. डॉ. एस.के. श्रीवास्तव–निदेशक 3. डॉ. अनिल कुमार सिन्हा–सदस्य 4. डॉ. एस.एन. पाण्डेय –सदस्य 5. डॉ. ए.के. गौर–सदस्य 6. डॉ. तरूण राय –सदस्य
33	**राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति** 1. डॉ. अनिल कुमार सिन्हा–संयोजक 2. डॉ. एस.एन. पाण्डेय –सदस्य 3. डॉ. दीपक सिंह –सदस्य 4. डॉ. अजयपाल सिंह –सदस्य 5. श्री राजीव कुमार–सदस्य 6. डॉ. तरूण राय –सदस्य
34	**एलुमनाई एसोसिएशन-** 1. डॉ. एस.एन. पाण्डेय –संयोजक 2. डॉ. मिलेन्द्र सिंह –सदस्य 3. श्री आशुतोष कौशिक–सदस्य 4. श्री संदीप कुशवाहा–सदस्य 5. श्रीमती दीपिका स्वर्णकार–सदस्य 6. सुश्री अनिसा लकड़ा–सदस्य
35	**प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग समिति-** 1. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय –संयोजक 2. डॉ. कविता कृष्णमूर्ति–सदस्य 3. श्री विनीत कुमार गुप्त–सदस्य 4. श्री आशीष मिश्रा–सदस्य 5. श्रीमती दीपिका स्वर्णकार–सदस्य

आवेदन पत्र क्रमांक..... वर्ग सामान्य/ पि.वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

कक्षा..... रक्त समूह.....

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला– सरगुजा (छ.ग.)

प्रवेश आवेदन पत्र 202.....–202.....

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....

   अंग्रेजी (बडे अक्षरो में).....

2. पिता का नाम.....

   माता का नाम.....

   जाति..... व्यवसाय.....

   वार्षिक आय.....

छात्र/छात्राएँ अपनी नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएँ एवं हस्ताक्षर करें ।

3. पिता जीवित न हों तो अभिभावक का नाम.....

4. आवेदक की जन्म तिथि (अंकों में).....

   (शब्दों में).....

5. आवेदक का स्थायी पता.....

   .....दूरभाष.....

6. आवेदक का स्थानीय पता.....

   .....दूरभाष.....

7. कक्षा जिसमें प्रवेश चाहिए.....

   विषय..... 1..... 2.....

   3..... 4.....

   5..... 6.....

8. अर्हताकारी परीक्षा का नाम.....

   प्राप्तांक/ पूर्णांक..... प्रतिशत.....

9. अभिरूचियॉ..... 1.....2 ..... 3.....

प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन/जांचोपरांत अस्थायी प्रवेश की अनुशंसा की जाती है दिनांक..... तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं करने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा ।

प्रवेश संयोजक

कार्यालयीन उपयोग हेतु-

शासकीय शुल्क रसीद क्र. ..... राशि.....

अशासकीय शुल्क रसीद क्र. ..... राशि.....

दिनांक.....

शुल्क लिपिक

10. छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि.....

11. शिक्षण संस्था गत वर्ष अध्ययन किया .....

12. क्या आप किसी परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग हेतु दण्डित हुए है? यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दे-

.....

13. अर्हताकारी परीक्षा- (विगत दो वर्षो में उत्तीर्ण परीक्षा)

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	श्रेणी	बोर्ड/वि.वि. का नाम

14. गुरूघासी दास विश्वविद्यालय का नामांकन क्रमांक (यदि हो).....

15. खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन.....

16. आवेदक सेवारत हो तो पद..... कार्यालय का नाम.....

17. सहोदर शुल्क मुक्ति की पात्रता हो तो-

सहोदर का नाम..... प्रवेश की कक्षा.....

प्रवेश रसीद क्रमांक..... दिनांक.....राशि.....

(प्रवेश रसीद की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें)

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम .....

दिनांक.....

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची-

1. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)
2. चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
3. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची की स्वयं सत्यापित प्रति (दो प्रति)
4. अज/अजजा/पि.वर्ग/संबंधित प्रमाण-पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति (यदि आवश्यक हो)
5. छत्तीसगढ़ के तृतीय/चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (यदि आवश्यक हो तो)
6. अन्य प्रमाण पत्र
7. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र(10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची की छायाप्रति)
8. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) का कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति

आवेदन को ग्रंथालय में जमा करें फार्म संख्या.....

कार्यालय प्राचार्य (ग्रंथालय)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)

ग्रंथालय सदस्यता आवेदन पत्र 202.....–202.....

सदस्य संख्या रीडर्स कार्ड संख्या वर्ग- सामान्य/पि.व./अ.ज./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक

पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न करें ।

छात्र/छात्रा का नाम..... कक्षा .....

छात्र/छात्रा का जन्म तिथि (अंकों में).....

पिता श्री.....

विषय/संकाय.....सेवारत.....

प्रवेश रसीद क्रमांक- शासकीय .....स्नातकोत्तर.....

दिनांक.....

क्या आप गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित हैं- हॉ/नही

वर्तमान पता- मकान नं..... वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर..... थाना.....

तहसील.....पोस्ट ऑफिस.....

जिला..... पिन कोड..... फोन नंबर.....

आधार नम्बर..... मोबाइल नम्बर.....

स्थायी पता- मकान नं..... वार्ड संख्या.....

ग्राम/शहर..... थाना.....

तहसील.....पोस्ट ऑफिस.....

जिला..... पिन कोड..... फोन नंबर.....

आधार नम्बर..... मोबाइल नम्बर.....

मैं..... आत्मज..... कक्षा.....

वर्ग..... सत्र..... में..... विषय में प्रवेश लिया हूँ ।

मैं ग्रंथालय का नियमित सदस्य बनना चाहता/चाहती हूं ।

सत्र के मध्य में महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में पुस्तकों की वापसी जमा करने हेतु अनुबंधित हूँ । ग्रंथालय के नियमों का पालन करने हेतु प्रतिबद्ध हूँ । प्रत्येक 14 दिवस के भीतर पुस्तकों की वापसी करने हेतु वचनबद्ध हूँ। पालन न करने पर 14 दिवस पश्चात्- प्रथम सप्ताह - 50 पैसे प्रति पुस्तक प्रति दिवस (21 दिवस) विलम्ब शुल्क का भुगतान करूँगा । दूसरे सप्ताह (28 दिवस तक) 1 रू. प्रति पुस्तक प्रतिदिन विलम्ब शुल्क अदा करूँगा/करूँगी ।

पुस्तक /पुस्तकें स्वच्छ/साफ-सुथरा रखूंगा । विद्रूप होने पर अथवा पुस्तकें/फटने /खराब होने पर पुस्तक का वर्तमान बाजार मूल्य/पुस्तक गुमने के 7 दिवस के भीतर डाक व्यय सहित राशि जमा करूँगा/ करूँगी ।

नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर जांच कर घर ले जाऊँगा/ जाऊँगी । प्रदाय की तिथि से पुस्तक के काउन्टर पर जमा होने तक की अवधि के बीच पुस्तकों में आयी खराबी की जिम्मेदारी मुझ पर होगी । मेरे नाम ग्रंथालय की पूर्व की पुस्तकें नहीं हैं ।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

अनुबंध–पत्र
पिता / पालक द्वारा
भरा जावे

मैं..... आत्मज/ आत्मजा श्री.....

अनुबंध करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री /पाल्य..... कक्षा..... ग्रंथालय से प्राप्त पुस्तकों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापिस जमा करता रहेगा/ रहेगी तथा पुस्तकों का सुरक्षात्मक ढंग से रख-रखाव करता रहेगा /रहेगी । परीक्षा के एक माह पूर्व पुस्तकालय से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित होगा/होगी ।

स्थान-.....

दिनांक-.....

पिता/पालक का हस्ताक्षर

पूर्ण नाम.....

मकान नम्बर.....

वार्ड.....

ग्राम/शहर.....

पोस्ट आफिस.....

पिन कोड.....

फोन नं. .....

मोबाईल नंबर.....

सदस्यता स्वीकृत/ अस्वीकृत की जाती है ।

प्राचार्य/रजिस्टार

ग्रंथालय-

संलग्न-

1. वर्तमान सत्र में जारी महाविद्यालयीन परिचय पत्र की छायाप्रति ।
2. पिछले कक्षा की अंक सूची की छायाप्रति ।
3. महाविद्यालय प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति ।
4. एक रंगीन फोटो
5. गरीबी रेखा से नीचे का (BPL) कार्ड की सत्य प्रतिलिपि ।
6. आधार कार्ड की छायाप्रति ।
7. स्वपता (Self Address) लिखा हुआ पोस्ट कार्ड , जिस पर छात्र/छात्राओं द्वारा निम्नानुसार लिखा हो- आपके द्वारा महाविद्यालय की पुस्तकें आज दिनांक तक नहीं लौटायी गयी हैं । स्वयं या अन्य किसी माध्मय से पुस्तकें तत्काल महाविद्यालय के मुख्य ग्रंथालय में जमा करें । अन्यथा शासकीय सम्पत्ति अवैध रूप से रखने के कारण आपके विरूद्ध शासकीय नियमानुसार कार्यवाही करायी जावेगी ।